संख्या: 04/वि0अनु0-1/2001-2002

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 03 अप्रैल 2002

विषय: पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित देयकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 9037/28-सं0वि0/अन्य/2001, दिनांक: 5 फरवरी, 2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन से सम्बन्धित तथा पेंशन स्वीकृत करने के प्रकरण में पूर्ववर्ती राज्य से सम्बन्धित 8 नवम्बर, 2000 तक के भुगतान 30 सितम्बर, 2001 तक किये जाने की व्यवस्था की गई थी। केन्द्र सरकार स्तर पर दिनांक 21 फरवरी 2002 को हुई बैठक के क्रम में जब तक अन्यथा आदेश केन्द्र सरकार द्वारा न कर दी जाय, पूर्व दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति यथावत मानी जाये। राज्य के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन के भुगतान समय से किये जाने के दायित्व को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल महोदय पुर्नगठन अधिनियम – 2000 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत इंगित प्रक्रिया तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार से हुई सहमति के आधार पर निम्नलिखित मदों के भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- वेतन से सम्बन्धित भुगतान।

2- सेवानिवृत्तिक लाभ।

3- सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के 90 प्रतिशत भुगतान।

4- सेवा निवृत्त होने पर अर्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान।

5- सेवानिवृत्ति के उपरान्त गृह-जनपद हेतु की गई यात्रा भत्ते का भुगतान।

6- सेवानिवृत्त/पेन्शनर्स की चिकित्सा प्रति-पूर्ति का भुगतान (सेवारत कार्मिकों के 8 नवम्बर, 2000 से पूर्व के चिकित्सा प्रति-पूर्ति के दावों का भुगतान उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या: सा0-3-241/दस-308(9) 2000 दिनांक 19 फरवरी 2001 के द्वारा पूर्ववत् अन्तर्राज्यीय समायोजन के अन्तर्गत किया जा रहा है।

7- सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी भुगतान।

2- उपर्युक्त सभी मदों के भुगतान के वाउचर पर बजट साहित्य में इंगित सुसंगत लेखा शीर्षक का विवरण धन बजट विनियोग (जहां आवश्यक हो) इंगित करने के साथ-साथ मुख्य लेखा – शीर्षक – 8793 – अन्तर्राज्यीय समायोजन उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 भी दर्शाया जाये। उपर्युक्त इंगित मदों के वाउचरों पर लाल स्याही से महालेखाकार हेतु यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि यह भुगतान पुनर्गठन अधिनियम के अधीन नियत तिथि 9 नवम्बर, 2000 से पूर्व का है तथा औपचारिक आदेश की प्रति भी देयक के साथ संलग्न किया जाये।

3- पेन्शन सम्बन्धी भुगतान के लिये अधिनियम 2000 की धारा – 54 के साथ पठित आठवीं अनुसूची के प्रस्तर-2 में

उल्लिखित है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश से अन्यत्र यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है या नियत तिथि से पूर्व अवकाश पर चला जाता है तो ऐसी पेन्शन सम्बन्धी कार्य का भुगतान उत्तर प्रदेश से होगा। इसी प्रकार उक्त धारा का आठवीं अनुसूची के प्रस्तर–3 के अनुसार नियत दिन से प्रारम्भ होने वाले और नियत दिन के पश्चात् ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाये समाप्त होने वाले अवधि के बाबत् पैरा–1 एवं पैरा–2 में निर्दिष्ट पेन्शनों के बारे में उत्तरवर्ती राज्य द्वारा किये गये कुल संदायों का संगणना में लिया जायगा। पेन्शनों की बाबत् पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के कुल दायित्व का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजन जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा और अपने द्वारा देय अंश से अधिक का संदाय करने के किसी उत्तरवर्ती राज्य पर अधिशेष रकम की प्रति–पूर्ति उत्तरवर्ती राज्य का भाग संदाय करने वाले राज्य द्वारा की जायेगी। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियत दिन के ठीक पूर्व सेवा करने वाले और उस दिन या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी के पेन्शन भुगतान का दायित्व उत्तरवर्ती राज्य का होगा क्योंकि संविधान के अनुसार राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन की प्रकरण राज्य का विषय है। किन्तु किसी ऐसे अधिकारी की पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यालय कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवा के कारण पेन्शन का भाग उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य जनसंख्या के अनुपात में प्रभाजन किया जायेगा। अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी नियत दिन के पश्चात् पेंशन अनुदत्त करने वाले राज्य से भिन्न एक से अधिक उत्तरवर्ती राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा करते रहे हों तो पेंशन अनुदत्त करने वाले राज्य उस सरकार को ऐसी रकम की प्रति पूर्ति करेगा जिसके द्वारा पेंशन की रकम अनुदत्त की गई है जिसको नियत दिन के पश्चात की उसकी सेवा के कारण तात्पर्य पेन्शन के भाग का वही अनुपात हो जो प्रति–पूर्ति करने वाले राज्य के अधीन नियत दिन के पश्चात् उसकी अर्ह–सेवा का उस अधिकारी को उसकी पेन्शन के परियोजनार्थ परिकल्प नियत दिनों के पश्चात् की कुल सेवा का है।

4– धारा 54 के साथ पठित आठवीं अनुसूची के उपरोक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि 09 नवम्बर, 2000 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी की 08 नवम्बर, 2000 तक की सेवा के पेन्शन/ग्रेच्युटी आदि सम्बन्धी देयता उत्तरवर्ती राज्यों में जनसंख्या के आधार में प्रभाजित होगा तथा 09 नवम्बर के बाद की सेवा जिस राज्य में जितने दिन सेवा की गयी हो के आधार पर उस राज्य द्वारा किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेन्शन स्वीकृति होने वाले प्रपत्र में इन तथ्यों को लाल स्याही से स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाये, कि कितनी सेवा 08 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश की है कितनी सेवा उत्तरवर्ती राज्य में की गई है ताकि सेवानिवृत्तिक लाभ सम्बन्धी प्रभाजन सही ढंग से सम्भव हो सके।

5– उपरोक्त विभाजक अधिष्ठान एवं पेन्शन के भुगतान करने से पहले वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, (भाग–1), प्रस्तर–74 में पूर्व समीक्षा सम्बन्धी निहित प्राविधान अन्य नियम संग्रहों एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अनियमित आदेश करने वाले/भुगतान करने वाले अधिकारी अनियमित भुगतान के दोषी माने जायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।